राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बृहस्पतिवार • 9 मई • 2019
www.rashtriyasahara.com

बंद हो ईवीएम विवाद

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ईवीएम वीवीपैट मिलान संबंधी पुनर्विचार याचिका खारिज किए जाने के बाद नहीं लगता कि विपक्षी दल शांत बैठ जाएंगे। हालांकि न्यायालय ने साफ कर दिया है कि अब हम आपकी याचिका सुनने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि 21 दलों की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका का यह हश्र बिल्कुल अपेक्षित था। आखिर न्यायालय ने इसी विषय पर याचिकाकर्ताओं और चुनाव आयोग को विस्तार से सुनने के बाद 8 अप्रैल को फैसला दिया था। आयोग पहले हर विधानसभा में एक वीवीपैट मिलान की व्यवस्था पर काम कर रहा था। न्यायालय ने उसे विस्तारित करते हुए पांच कर दिया। इन दलों का रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। आयोग एक संवैधानिक संस्था है। बार-बार उस पर प्रश्न उठाना उसकी साख को कठघरे में खड़ा करना है। आयोग

बारंबार आश्वासन दे रहा है कि ईवीएम प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित है तो उस पर विश्वास न करने का कारण नहीं। ईवीएम का मामला जब भी आया आयोग का हमेशा से यही पक्ष रहा है। सेवानिवृत्त हो चुके चुनाव आयुक्त भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ईवीएम से कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है। इसके बाद राजनीतिक दलों का अपनी जिद पर अड़ना गैरजिम्मेवार रवैया ही कहा जाएगा। देश में लंबे समय से ईवीएम का उपयोग हो रहा है। तीन संपूर्ण लोक सभा चुनाव ईवीएम से संपन्न हो चुके हैं। इससे संबंधित उठाई गईं सारी आशंकाएं निराधार साबित हुई हैं। लेकिन हमारी राजनीति जिस अवस्था में पहुंच गई है उसमें किस संस्था को कब बेईमान और भ्रष्ट बता दिया जाए, इसकी कल्पना तक आप नहीं कर सकते। राजनीतिक लड़ाई राजनीति के मैदान तक सीमित रहनी चाहिए। आयोग जैसी संवैधानिक संस्था एवं चुनाव प्रणाली को राजनीतिक लड़ाई का हथियार बनाना ठीक नहीं है। सरकारें आएंगी जाएंगी, आज एक पार्टी सत्ता में है कल दूसरी होगी, लेकिन संस्थाएं अपनी जगह रहेंगी। सभी दलों का दायित्व है कि इन संस्थाओं का सम्मान बनाए रखें। ईवीएम पर बारम्बार प्रश्न उठाकर ये चुनाव आयोग की साख और विश्वसनीता को आघात पहुंचा रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि ईवीएम का भाजपा के पक्ष में इस्तेमाल किया जा सकता है तो आप आयोग की निष्पक्षता पर ही उंगली उठाते हैं। इसी ईवीएम ने कई परिणाम दिए हैं, जिनसे विपक्ष आज राज्यों की सत्ता में है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बारम्बार मुहर लगाने के बाद ईवीएम को विवादित बनाने का गैरजिम्मेवार सिलसिला बंद हो। यह देश और लोकतंत्र के हित में है।

जानलेवा सीवर

एक बार फिर सेफ्टी टैंक की सफाई करने उतरे दो सफाईकर्मी काल के गाल में समा गए। दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में 10 फीट टैंक की सफाई करने कुल 5 मजदूर उतरे थे, इनमें दो की मौत हो गई जबकि 3 की हालत गंभीर है। इन लोगों के पास सुरक्षा के किसी तरह के कोई भी उपकरण नहीं थे। देश में हर जगह सेफ्टी टैंक हैं मगर उनकी सफाई को लेकर किसी तरह की कोई समग्र योजना का अभाव रहा है। न कोई तकनीक न कोई जिजीविषा। हर रोज कहींन्कहीं से सीवर की सफाई करते मजदूरों की मौत की खबर मिलती है। क्या स्वच्छ भारत अभियान के कालखंड में इस तरह की खबरें हमें शर्मिंदा नहीं करती? हाल के वर्षों में सेप्टी टैंक की सफाई करते कई मजदूरों की मौत हुई है। देश भर की बात करें तो पिछले पांच सालों में कुल 1470 सफाईकर्मियों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़े 2018 तक के हैं। पिछले कुछ महीनों के दौरान हुई मौतों को जोड़ दें तो कई 1500 से ज्यादा हो

जाएंगे। वहीं दिल्ली की बात करें तो पांच सालों में कुल 74 सफाईकर्मियों की मौत सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हुई है। साफन्सफाई अभियान की वकालत करने वाले लोग इस समस्या पर ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी किट, दस्ताने और मास्क उपलब्ध कराने की बात करते हैं जबकि सफाई के लिए मशीनों के इस्तेमाल पर कोई बात नहीं करता है। सर्वोच्च अदालत ने 2014 में मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा था कि नालों की सफाई के दौरान मारे गए कर्मचारियों के परिजनों को दस लाख रुपये मुआवजा दिया जाना चाहिए। वहीं उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के वक्त माना था कि दिल्ली में सफाईकर्मियों की स्थिति बेहद गंभीर है। सबसे चिंता की बात यह है कि मुआवजा देने के मामले में भी शासन स्तर पर लापरवाही और उदासीनता देखी जाती है। हमेशा से सीवर श्रमिकों के पुनर्वास और क्षतिपूर्ति की नीतियां अधिक सफल नहीं हुई है। इसलिए नौकरशाही को निद्रा से जागना होगा। सरकार को भी इस मद में आवंटित बजट का समझदारी से इस्तेमाल करने के नियम बनाने होंगे। स्मार्ट शहर की चर्चा तो बहुतेरे होती है, मगर 'स्मार्ट सैनिटेशन' की बात कोई नहीं करता है। जब तक मशीन का इस्तेमाल सफाई के लिए नहीं होगा, एकन्एक कर मजदूर अपनी जान गंवाते रहेंगे।

कटाक्ष/ सहीराम

एक सेलिब्रिटी चाहिए

जी यह वैसा विज्ञापन नहीं है जैसे अखबारों में वैवाहिक विज्ञापन होते हैं कि एक योग्य वर या योग्य वधु चाहिए सुंदर, सुशील टाइप की। बल्कि यह तो विज्ञापन है ही नहीं। यह तो राजनीतिक पार्टियों के लिए जैसे वक्त की मांग है, उनकी जरूरत है। एक सेलिब्रिटी चाहिए-चुनाव लड़ाने के लिए। कोई कार्यकर्ता नहीं चाहिए और समर्पित, मेहनती, प्रतिबद्ध टाइप का तो बिल्कुल भी नहीं।

जब विचारधारा ही नहीं चाहिए तो बताइए कार्यकर्ता भी क्यों चाहिए? वैसे भी कार्यकर्ता अब ठेके पर मिल जाते हैं, और प्रचार के लिए तो प्रचार एजेंसियां हैं ही। सो, अब तो बस सेलिब्रिटी चाहिए। फिल्मी सितारा, क्रिकेटर, अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो। अरे किसी भी खेल का हो इससे क्या फर्क पड़ता हैन्इस खेल के असली खिलाड़ी तो हम हैं न। इसलिए वह तो बस ऐसा खिलाड़ी हो, जिसका थोड़ा नाम हो, फिर चाहे क्रिकेट का हो या बॉक्सिंग का, चाहे जैवलिन थ्रो का ही क्यों न हो। बस उसे कोई पदक मिला होना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय पदक मिला हो तो और अच्छा। कोई ऐसा सेलिब्रिटी हो, ऐसा फिल्मी सितारा हो जिसे लोग देखने के लिए उमड़ पड़ें, उसे छूने के लिए टूट पड़ें, उसके साथ सेल्फी लेने को मचल जाएं, जो अपना कोई फिल्मी डायलॉग बोल कर लोगों को अपना मुरीद बना ले। उसे राजनीति की समझ है या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, वह तो हमारे पास है ही। बल्कि अपने चुनाव प्रचार में अगर वह यह बात ज्यादा जोर-शोर से कहे तो और अच्छा कि उसे राजनीति की ज्यादा समझ नहीं है। वैसे भी फिल्मी सितारे गैरराजनीतिक रहें तो ज्यादा अच्छा है, राजनीति में वे ज्यादा सफल होते हैं और राजनीतिक प्रयोजन के ज्यादा अच्छे से काम आते हैं। सो, किसी फिल्मी सितारे के बस एक फिल्मी डायलॉग का सवाल है बाबा। हालांकि उनसे ज्यादा अच्छी डायलॉगबाजी आजकल हमारे नेता ही ज्यादा कर रहे हैं। फिर भी फिल्म में बोले गए डायलॉग अब भी राजनीतिक मंच से बोले गए डायलॉगों से ज्यादा लोकप्रिय हैं। वह मंच पर खड़ा होकर बस एक डायलॉग बोल दे, उसके बाद तो जीत पक्की ही समझो। सो, ढूंढोन्ढूंढो एक सेलिब्रिटी ढूंढो। उसे अपनी पार्टी में लाओ। हमने उसके लिए टिकट रखा हुआ है। उसे नेताओं की तरह टिकट के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं।

कैसे रुकेगा चोर-चोर !

विश्लेषण

प्रमोद जोशी

राजनीतिक बयानबाजी मर्यादा रेखाओं को पार कर रही है। राफेल विमान के सौदे से जुड़े एक आदेश के संदर्भ में राहुल गांधी को अपने बयान 'चौकीदार चोर है' पर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त के माफी मांगनी पड़ी है। हलफनामा दाखिल करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की है कि अब अवमानना के इस मामले को बंद कर देना चाहिए। अदालत राफेल मामले पर अपने 14 दिसम्बर, 2019 के आदेश पर पुनर्विचार की अर्जी पर भी विचार कर रही है। अब 10 मई को पता लगेगा कि अदालत का रुख क्या है? अपने माफीनामे में राहुल ने कहा है कि अदालत का अपमान करने की उनकी कोई मंशा नहीं थी। भूल से यह गलती हो गई।

इस चुनाव में कांग्रेस ने 'चौकीदार चोर है' को अपना प्रमुख राजनीतिक नारा बनाया है। यह नारा राफेल सौदे से जोड़कर कांग्रेस ने दिया है। अब बीजेपी ने पलटवार करते हुए 'खानदान चोर है' का नारा दिया है। चुनाव के केवल दो दौर शेष हैं। इधर झारखंड की एक रैली में मोदी ने राहुल को संबोधित करते हुए कहा, 'आपके पिता जी को आपके राजन्दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था, लेकिन देखतेन्ही-देखते भ्रष्टाचारी नम्बर वन के रूप में उनका जीवनकाल समाप्त हो गया।' 'चौकीदार चोर है' के जवाब में यह सीधी चोट है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल की माफी का मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी 'चौकीदार चोर है' के नारे से हट गई है। राहुल के वकील अभिषेक सिंघवी का कहना है कि यह पार्टी का राजनीतिक नारा है। और पार्टी उस पर कायम है।

यह बात उन्होंने हलफनामे में भी कही है। पर अब बीजेपी ने जब राजीव गांधी को भी घेरे में ले लिया है, तब सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या दिवंगत व्यक्ति को लेकर इस प्रकार की राजनीति करना क्या उचित है? बीजेपी का कहना है कि हम केवल वास्तविक स्थिति को बयान कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? मोदी अरसे से खुद को जनता के चौकीदार के रूप में पेश करते रहे हैं। इस बीच, राफेल मामले को लेकर दायर की गईं कुछ याचिकाओं पर गत 14 दिसम्बर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को क्लीन चिट दी। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि हम साबित करके रहेंगे कि विमानन्सौदे में 'चोरी' हुई है। अदालत में फैसले पर पुनर्विचार के लिए अर्जी दी गई। अपनी बात को पुख्ता करने के लिए कुछ ऐसे दस्तावेज अदालत में पेश किए जो गोपनीय की परिभाषा में आते हैं। सरकार ने गोपनीय दस्तावेज को इस तरह से पेश करने पर आपत्ति व्यक्त की। इस पर अदालत ने 10 अप्रैल, 2019 को कहा कि गोपनीय दस्तावेज

लगाए जा सकते हैं। अदालत की इस व्याख्या के संदर्भ में राहुल गांधी ने बेसाख्ता कहा कि इससे साबित है कि 'चौकीदार चोर है।' राहुल का यह सार्वजनिक वक्तव्य अवमानना के दायरे में आ गया। 'चौकीदार चोर है' की प्रतिक्रिया में जब बीजेपी ने 'खानदान चोर है' का नारा दिया और राजीव गांधी तक का नाम घसीट लिया तो प्रियंका गांधी भी मैदान में उतर आईं।

उन्होंने मंगलवार को अम्बाला की एक चुनावी रैली में नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, 'ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था।' उन्होंने 'दिनकर' की एक कविता को उद्धृत किया, 'जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।' प्रियंका के हमले के जवाब में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि 23 मई को तय होगा कि कौन दुर्योधन है, और अर्जुन कौन है? इन दोनों वक्तव्यों के रूपकों और मुहावरों की अनदेखी की जा सकती है, पर मर्यादा रेखाएं टूटने का खतरा अभी आगे भी है। प्रियंका के बयान के अगले रोज बुधवार को राजद की नेता राबड़ी देवी ने कहा, 'उन्होंने दुर्योधन बोल कर गलत किया है। दूसरा भाषा बोलना चाहिए उनको। वो सब तो जल्लाद हैं, जल्लाद।' कहना मुश्किल है कि राबड़ी जिस 'दूसरा भाषा' की बात कह रही हैं, उससे उनका आशय क्या है? राजनीतिक विरोध की भाषा किस स्तर पर जाकर मर्यादा खोती है, इसे समझने की जरूरत है। यह भी देखना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहां से होती है? सितम्बर, 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि पीएम मोदी सैनिकों के खून की दलाली कर रहे हैं। नवम्बर, 2016 में नोटबंदी के बाद उन्होंने कहा कि 'मुझे संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। मैं बोलूंगा, तो भूकम्प आ जाएगा।'

फिर राफेल सौदे को लेकर उनकी पार्टी ने अपना अभियान शुरू कर दिया। हाल में एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा है कि 'मैं नरेन्द्र मोदी की ईमानदार छवि को ध्वस्त कर देना चाहता हूं।' जाहिर है कि राजनीति अब बेहद कड़वे मोड़ पर आ गई है। दोनों तरफ की भाषा में जहर है। यह ऊंचे स्तर की भाषा है। निचले स्तर पर काट डालने और मार डालने की बातें हो रही हैं। चुनाव के हर दौर में बंगाल से जबर्दस्त खूरेजी की खबरें आ रही हैं। हाल में फिल्म कलाकार अक्षय कुमार के साथ टीवी इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि 'ममता दीदी साल में आज भी मेरे लिये एकन्दो कुर्ते भेजती हैं। साल में एकन्दो बार मिठाई जरूर भेज देती हैं।' इस जवाब को सुनकर ममता बनर्जी ने कहा, 'हम मोदी को मिट्टी के लड्डू और पत्थर के रसगुल्ले भेजेंगे।' इस बयान की कड़वाहट राजनीति के गिरते स्तर को ही बयान कर रही है। राजनीति के साथ मीडिया का दायरा भी बढ़ रहा है। फेकन्यूज बढ़ रही हैं, और आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें भी बढ़ रही हैं। चुनाव आयोग की मर्यादा पर भी प्रहार हो रहे हैं। ये बातें भी सुप्रीम कोर्ट के सामने जा रही हैं, या भविष्य में जाएंगी। सवाल है कि क्या राजनेताओं को कुछ भी बोलने का अधिकार है?

बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का कहना है कि 'हमारे संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। आचार संहिता के नाम पर अभिव्यक्ति को दबाया नहीं जा सकता।' पर सच यह है कि हमें अभिव्यक्ति का असीमित अधिकार प्राप्त नहीं है। उस पर विवेकन्सम्मत पाबंदियां भी संविधान ने लगाई हैं। 2014 के चुनाव के ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट में दो बार 'हेट स्पीच' का मामला उठा था। अदालत ने 12 मार्च, 2014 को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए विधि आयोग को निर्देश दिया था कि वह नफरत भरे बयानों खास तौर से चुनाव के दौरान ऐसी हरकतों को रोकने के लिए दिशान्निर्देश तैयार करे। ऐसे बयान देने वालों को सजा न मिल पाने का कारण यह नहीं है कि हमारे कानूनों में खामी है। कारण यह है कि कानूनों को लागू करने वाली एजेंसियां ही शिथिल हैं। अदालत की उस बात को हम पिछले चुनाव के बाद अब याद कर रहे हैं।

> सवाल है कि क्या राजनेताओं को कुछ भी बोलने का अधिकार है? बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का कहना है कि 'हमारे संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। आचार संहिता के नाम पर अभिव्यक्ति दबाई नहीं जा सकती।' पर सच यह है कि हमें अभिव्यक्ति का असीमित अधिकार प्राप्त नहीं है। उस पर विवेक-सम्मत पाबंदियां भी संविधान ने लगाई हैं। दरअसल, कानूनों को लागू करने वाली एजेंसियां ही शिथिल हैं

अभी तक पांच चरणों का मतदान हो चुका है... इन चरणों में आपराधिक

	कुल उम्मीदवार	आपराधिक मामले	गंभीर आपराधिक मामले	महिलाओं के खिलाफ मामले
पहला चरण	1271	17%	12%	1%
दूसरा चरण	1699	16%	11%	1%
तीसरा चरण	1612	21%	14%	2%
चौथा चरण	943	23%	17%	2%
पांचवा चरण	674	19%	14%	1%

स्रोत : एडीआर

ट्विट

अगर छात्रों को 500/500 या 499/500 मिल रहे हैं, तो इन टॉपर्स की उत्तर पुस्तिका सार्वजनिक करने के लिए सीबीएसई/आईसीएसई पर दबाव बनाया जाना चाहिए। बस विचार प्राप्त करने के लिए कि उन्हें कैसे अंक मिल रहे हैं और मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है? सोशल मीडिया कई छात्रों की मदद करने के लिए इस दिशा में एक अभियान शुरू कर सकता है।

नरेन्द्र नाथ, टिप्पणीकार
@iamnarendranath

मुखर होतीं अति पिछड़ी जातियां

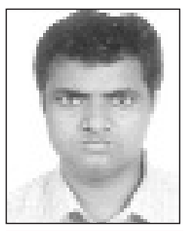

बिहार

सुबोध कुमार

लोकसभा चुनाव का परिणाम ऐतहासिक होने वाला है। बिहार फिर मार्गदर्शक की भूमिका में रहेगा क्योंकि जातियों के राजनीतिकरण से पिछड़ी जातियों की सामाजिकन्राजनीतिक हिस्सेदारी में भागेदारी मिली है। इसके बाबजूद अभी भी कुछ जातियां इस हिस्सेदारी से वंचित है। हालांकि ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण निरंतर गति में रहने वाला बिहार जैसा प्रदेश समग्र विकास के लिए मूलभूत ढांचा तैयार नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी 'जातियों के राजनीतिकरण' की प्रयोगशाला की समान व्यवस्था होने से लोकतांत्रिक निवेश के अवसर को गति प्रदान करने का उसे अवसर मिलेगा। इससे राजनीतिक बदलाव के कारण नया नेतृत्व उभर सकेगा।

जब हम बिहार में अन्य पिछड़ा वर्ग के नेताओं के उद्भव को देखते हैं, तो पाते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग की केवल दो जातियों (यादव और कुर्मी) को लोकतंत्र ने सबसे ज्यादा लाभान्वित किया जबकि बाकी अन्य पिछड़ी जातियां विकास की सीढ़ी के ऊपर तक नहीं पहुंच पाईं। बिहार में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री तथा पिछड़े वर्ग के नेता के रूप में उभरे। पिछड़ी जातियों ने राजनीति की प्रक्रिया को प्रतिद्वंद्विता की तरह समझा। इससे जातियां आपस में बंट गईं। संगठित होकर नेतृत्व विकसित करने लगीं। इस सोशल इंजीनियरिंग के कारण बिहार में लालू और नीतीश कुमार का उद्भव हुआ। जब 1990 में लालू यादव सत्ता में आए तब बिहार के सामने मूल रूप से तीन प्रकार की सामाजिकन्आर्थिक मांगें थीं। पहली मांग जनता के उस बहुसंख्यक हिस्से से आई जो खेती से संबंधित थी, और भूमिहीन भी। अन्य पिछड़ा वर्ग से थी। उसकी लालू से अपेक्षा थी कि रूपांतरण की गति को तेज करें। दूसरी मांग उन लोगों की थी जो द्विज या उच्च जातियों के थे। उनकी अपेक्षा नवीन आर्थिक सुधार (1991) के लागू होने से प्राप्त अवसरों में भागीदारी करने की थी। तीसरी मांग उन अल्पसंख्यकों की थी जो भागलपुर दंगे के बाद जीवन और

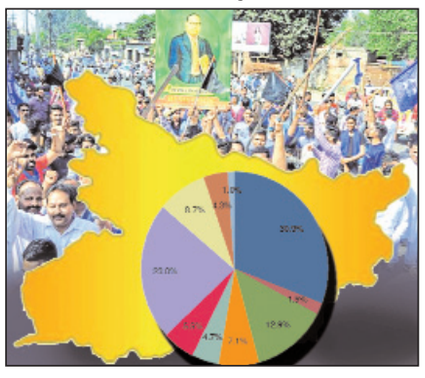

स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा चाहते थे। उच्च जातियों को लालू से बहुत अपेक्षाएं नहीं रह गई थीं।

बिहार के विधानसभा चुनाव (2005न्2006) में एक विमुक्त (विचारधारा से परे) राजनेता नीतीश का उद्भव हुआ। 14वीं विधानसभा के नतीजे ने नीतीश को शासनादेश दिया। नीतीश कुर्मी हैं, और उनका समर्थन कार्यकर्ता आधारित पार्टी भाजपा ने किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कोइरी जाति के साथ सशक्त गठजोड़ बनाया। इस गठजोड़ ने कोइरीन्कुर्मी को लालू के यादव वोट बैंक के समानांतर खड़ा कर दिया। मगर एक तरफ वे हमेशा कार्यकर्ता आधारित दल (भाजपा) पर आश्रित रहे और दूसरी तरफ कोइरी वोट बैंक पर। 2012 के बाद कोइरी जाति के साथ उनका सशक्त गठजोड़ हिलने लगा क्योंकि प्रमुख कोइरी नेताओं ने उनके मंत्रिमंडल और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सोलहवें विधानसभा चुनाव में नीतीश और लालू के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन हुआ। यह अनैतिक था क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख विपक्षी दल था और नीतीश का उद्भव राष्ट्रीय जनता दल की पराजय पर आधारित था। प्रतिक्रम भी था। यह सुविधा का संबंध था जो अधिक नहीं चला। नीतीश दोबारा एनडीए गठबंधन में गए, लेकिन उन्होंने स्वयं को ऐसे नेता के रूप में बेनकाब कर दिया, जिसके पास जन समर्थन नहीं होता है। भाजपा के पास बिहार में जनाधार वाला पिछड़े वर्ग से कोई नेता नहीं है। सुशील कुमार मोदी की सीमाएं हैं। कुछ समय में तीन नये राजनीतिक चेहरों (उपेन्द्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी) ने जातियों के राजनीतिकरण को और अधिक बल दिया।

जब हम समकालीन जाति के राजनीतिकरण को देखते हैं तो पाते हैं कि बिहार में तीसरी जाति कोइरी है, जो यादव के बाद सबसे ज्यादा संख्या है। प्रजातंत्र लगातार प्रगतिशील चेहरों की खोज करता है, इसलिए जाति के राजनीतिकरण के माध्यम से अभी न जाने कितने प्रगतिशील चेहरे सामने आने हैं। उनमें एक नाम हो सकता है विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी दल) के मुखिया मुकेश सहनी का। वह अपनी मल्लाह जाति को बिहार में एकजुट करने में सफल दिख रहे हैं। इस प्रकार पिछले पांच वर्षों में बिहार में अनेक नये दल बने पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और वीआईपी अपनी जाति को गोलबंद करने में सफल हुए हैं, जिसका परिणाम हमें 17वें लोक सभा चुनाव एवं 17वें बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में दिखेगा, जिससे जातियों के राजनीतिकरण के माध्यम से प्रजातंत्र और मजबूत होगा।

कसौटी

श्रीराम शर्मा आचार्य

पात्रता के अभाव में सांसारिक जीवन में किसी को शायद ही कुछ विशेष उपलब्ध हो पाता है। अपना सगा होते हुए भी एक पिता मूर्ख गैर

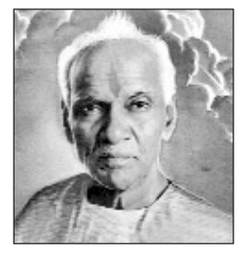

जिम्मेदार पुत्र को अपनी विपुल सम्पत्ति नहीं सौंपता। कोई भी व्यक्ति निर्धारित कसौटियों पर खरा उतरकर ही विशिष्ट स्तर की सफलता अर्जित कर सकता है। मात्र मांगते रहने से कुछ नहीं मिलता, हर उपलब्धि के लिए उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। बाजार में विभिन्न तरह की वस्तुएं दुकानों में सजी होती हैं, पर उन्हें कोई मुफ्त में कहां प्राप्त कर पाता है? अनुनय विनय करने वाले तो भीख जैसी नगण्य उपलब्धि ही करतलगत कर पाते हैं। पात्रता के आधार पर ही शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में भी विभिन्न स्तर की भौतिक उपलब्धियां हस्तगत करते सर्वत्र देखा जा सकता है। अध्यात्म क्षेत्र में भी यही सिद्धांत लागू होता है। भौतिक क्षेत्र की तुलना में अध्यात्म के प्रतिफल कई गुना अधिक महत्त्वपूर्ण, सामर्थ्यवान और चमत्कारी हैं। किन्हींन्किन्हीं महापुरुषों को देख एवं सुनकर हर व्यक्ति के मुंह में पानी भर आता है और उन्हें प्राप्त करने के लिए मन ललचाता है, पर अभीष्ट स्तर का आध्यात्मिक पुरुषार्थ न कर पाने के कारण उस ललक की आपूर्ति नहीं हो पाती। पात्रता के अभाव में अधिकांश को दिव्य आध्यात्मिक विभूतियों से वंचित रह जाना पड़ता है, जबकि पात्रता विकसित हो जाने पर बिना मांगें ही वे साधक पर बरसती हैं। उन्हें किसी प्रकार का अनुनय विनय नहीं करना पड़ता है। दैवी शक्तियां परीक्षा तो लेती हैं, पर पात्रता की कसौटी पर खरा सिद्ध होने वालों को मुक्तहस्त से अनुदान भी देती हैं। यह सच है कि अध्यात्म का, साधना का चरम लक्ष्य सिद्धियांन्चमत्कारों की प्राप्ति नहीं है, पर जिस प्रकार अध्यवसाय में लगे छात्र को डिग्री की उपलब्धि के साथन्साथ बुद्धि की प्रखरता का अतिरिक्त अनुदान सहज ही मिलता रहता है, उसी तरह आत्मोत्कर्ष की प्रचण्ड साधना में लगे साधकों को उन विभूतियों का भी अतिरिक्त अनुदान मिलता रहता है, जिसे लोकन्व्यवहार की भाषा में सिद्धि एवं चमत्कार के रूप में जाना जाता है। पर चमत्कारी होते हुए भी ये प्रकाश की छाया जैसी ही हैं। प्रकाश की ओर चलने पर छाया पीछेन्पीछे अनुगमन करती है।

रीडर्स मेल

सिर्फ अंक ही काफी नहीं

आज से लगभग चालीसन्पचास वर्ष पूर्व 61 प्रतिशत अंक लाना गर्व की बात होती थी। आज इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान जैसे विवरणात्मक विषयों में भी 100/100 ला देना दुनिया के सातवें आश्चर्य से कम नहीं है। पहले सिर्फ गणित में 100/100 अंक लाना संभव था। निश्चित रूप से वर्तमान शिक्षा पद्धति शिक्षा माफियाओं के हाथों में जाने से यह वर्णनातीत पतन की शिकार होकर रह गई है। तभी तो दुनिया के 100 स्तरीय शिक्षा संस्थानों में भारत का कोई शिक्षा संस्थान ही नहीं है। यहां के कथित इंजीनियरिंग कॉलेजों से निकलने वाले 80 प्रतिशत इंजीनियर किसी काम के नहीं हैं।

निर्मल शर्मा, गाजियाबाद

विश्वास उठ गया

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम्स के 11 बच्चियों को दुष्कर्म के बाद हत्या दिल और दुनिया को झकझोर देने वाली घटना है। लेकिन इस घटना से सत्ता पक्ष असहज नहीं हुआ, उल्टे जब तक इस कांड से पर्दा नहीं उठा तबतक इसके आरोपित पर सरकार मेहरबान रही। मुजफ्फरपुर में बड़े-बड़े राजनेताओं की सभा हुई मगर इस कांड का जिक्र तक नहीं हुआ। मानो कुछ हुआ ही नहीं या ये सब घटनाएं होती रहेंगी। किसी की अंतरात्मा कुछ नहीं बोली, लेकिन बिहार की अंतरात्मा डोल गई। राजनेताओं पर से विश्वास उठ गया। भले कोई सुशासन का दंभ भरे, लेकिन राजसत्ता के चेहरे पर कलंक का टीका लग गया।

प्रसिद्ध यादव, बाबूचक, पटना

कब होगा सुधार?

मुस्लिम समुदाय के लोगों को देखा जाए तो वह विभाजन के बाद से ही हाशिये के समाज का हिस्सा रहे हैं। उनकी स्थिति में अब तक कोई सुधार क्यों नहीं आ पाया है? आज भी मुख्यधारा का समाज उन पर हावी है। वो राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, क्षेत्रों में नहीं देखे जा सकते हैं। हिंदुस्तान मुस्लिम आबादी में तीसरे स्थान पर आता है। भारत में मुस्लमान की पहचान उनकी वेशभूषा के आधार पर की जाती है। उदाहरण के तौर पर दाढ़ी, कुर्ता, टोपी आदि। इसका अच्छा फायदा राजनीतिक स्तर पर उठाया जा रहा है। यह मुस्लिम समुदाय की संस्कृति व सामाजिक विकास की तो बात करते हैं पर उनकी आर्थिक विकास और सुधार से संबंधित मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते?

शादमा मुस्कान, ईन्मेल से

संस्कृत भी पढ़ें छात्र

हाल ही में जारी हुए यूपी बोर्ड के रिजल्ट के हिसाब से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में केवल हिंदी भाषा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 998250 का आंकड़ा पार कर गई, जोकि पिछले वर्ष से कहीं ज्यादा है, जबकि हाई स्कूल में संस्कृत भाषा में केवल 67 फीसद ही सफल हो सके। संस्कृत विषय को चुनने वाले विद्यार्थी ही बहुत कम होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि विद्यार्थी हिंदी को बाकी विषयों के सामने गैर जरूरी समझते हैं और इस पर अन्य विषयों की अपेक्षा बहुत कम मेहनत की जाती है। क्या हमारे यहां फिर से संस्कृत को वह गौरव हासिल होगा, जो सालों पहले था? सरकार को इस बारे में गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

मुरारी मिश्र, कल्याणपुर, कानपुर
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक सी बी सिंह द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
समूह संपादक -मनोज तोमर। स्थानीय संपादक -रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष -दिल्ली कार्यालय -23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स -23352370, दूरभाष -नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स -2550750

वर्ष-28, अंक 10071 — आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2018-2020 — *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी